

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 02 (04973) खा.वि./स्था.प्र. / 2026 / RAS-24

जयपुर, दिनांक हस्ताक्षरित

:-नियुक्ति आदेश:-
(अनुसूचित क्षेत्र)

कार्मिक (क-4/2) विभाग की अंशा० टीप क्रमांक प. 9 (66) कार्मिक/क-4/2/2026/33564 दिनांक 30.09.2026 के क्रम में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2024 के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा के आधार पर एवं विभागीय सेवा नियम राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधीनस्थ सेवा नियम, 1974 के नियम 6 (1) एवं अध्याय-IV के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को विभाग में प्रवर्तन निरीक्षक की सीधी भर्ती के पद पर परिवीक्षाधीन प्रवर्तन निरीक्षक के रूप में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश / परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक / वेतन भत्तों पर एतद्वारा नियुक्त करते हैं ।

इस आदेश द्वारा नियुक्त प्रवर्तन निरीक्षक दिनांक 01.10.2026 को प्रातः 09:30 बजे
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मुख्यालय, कमरा न. 7026 भू-तल, खाद्य भवन,
सचिवालय, जयपुर पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे :-

SNO	MERIT NO	ROLL NO	NAME	BIRTH DATE	CATEGORY	QUOTA
1.	1009	1004700	ROSHAN PATIDAR	24-05-2002	GE,TSP-UR	UMT-QT
2.	1133	1010756	KUNAL BHATT	03-06-2001	EWS,TSP-UR	UMT-QT
3.	1380	1011886	SACHIN SOLANKI	03-03-2003	BC,TSP-UR	UMT-QT
4.	1422	1004619	RAMESH KUMAWAT	15-10-1999	BC,TSP-UR	UMT-QT
5.	1545	1008929	ASTHA BHATT	25-06-2003	GE,WE,TSP-UR	UFT-QT
6.	1551	1009982	YASHVI PANIYA	27-10-1995	GE,WE,TSP-UR	UFT-QT
7.	2164	1007057	SOHAN SARPOTA	05-11-1997	TSP-ST,NG	TMT-QT
8.	2184	1003746	PRABHU LAL MEENA	05-08-1998	TSP-ST	TMT-QT
9.	2201	1003022	APOORVA MEENA	11-11-2000	TSP-ST,WE	TMT-AG
10.	2207	1006070	JAYESH ROAT	09-01-2000	TSP-ST	TMT-QT
11.	2371	1005794	HARISH BUNKER	19-09-1997	TSP-SC,BL	CMT-BL
12.	2387	1004147	PUSHPA KUMARI	14-07-1995	TSP-ST,WE,WD	TTW-QT

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar

Designation : Additional Commissioner

Date: 2026.09.30 10:50:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24811093

M e-Sign



1. जिन अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन (पुलिस सत्यापन) अटेस्टेशन फॉर्म में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी नियुक्ति सभी स्थानों से चरित्र सत्यापन प्राप्त होने तक प्रोविजनल रहेगी। बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण के पूर्व उनके द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जावेगा कि उनके विरुद्ध कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है, किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन / लम्बित नहीं है एवं ना ही उन्हें पूर्व में न्यायालय द्वारा दण्डित / राजीनामा / दोषमुक्त किया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन / दण्ड/राजीनामा / दोषमुक्त / एफ.आई.आर आदि का शपथ पत्र में उल्लेख किया जाता है, तो कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 अनुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाए जाने की स्थिति में उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी एवं नियमानुसार आपराधिक / विधिक. कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। पुलिस सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए उनकी नाम के आगे प्रोविजनल लिखते हुए नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन रहेगी।
3. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यक्षीन रहेगी।
4. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प 14 (1) वित्त / नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15 (1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस०एल०पी० सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी एवं राजस्थान सरकार में पूर्व में सेवारत नियमित वेतन प्राप्त करने वाले कार्मिकों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ, 12 (5) वित्त / नियम / 06 दिनांक 31.08.2006 एवं 28.06.2013 के अनुसार पूर्वानुसार वेतन देय होगा।
5. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
6. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा नियम, 1976 एवं (संशोधित) नियम, 2017 के अध्याय IV के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar

Designation : Additional Commissioner

Date: 2026.09.30 10:50:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24811093

M e-Sign

7. उक्त नियुक्तियां संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्वधीन है।
8. उक्त अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में नियमानुसार विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष प्रवर्तन निरीक्षक होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी।
11. अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
12. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय 11 में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
13. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय उपलब्ध करवाएंगे।
14. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण की निर्धारित तिथि को अपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में) की सत्यापित प्रति के साथ निश्चित रूप से उपलब्ध करवानी होगी।
15. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "सेल्फ डिक्लेरेशन" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।
16. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीवित संतान / संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।
17. अभ्यर्थी को धूम्रपान, तम्बाकू एवं गुटखे का सेवन नहीं करने संबंधी घोषणा उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar

Designation : Additional Commissioner

Date: 2026.09.30 10:50:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24811093

M e-Sign

18. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से 7 दिवस तक रिपोर्ट नहीं करते हैं एवं न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
19. उक्त सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण स्थान पर संलग्न प्रपत्र में सूचना भरकर अपने मूल दस्तावेजों मय फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं अतिरिक्त पासपोर्ट साइज के फोटो के साथ उपस्थित होंगे।
20. गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण से संबंधित कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15(1) कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2005 का आवश्यकतानुसार अनुसरण किया जावेगा।
21. अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि उनके प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होने की दिनांक अथवा विभाग में कार्यग्रहण तिथि से प्रभावी मानी जावेगी।
22. कोई अभ्यर्थी राजकीय / केन्द्रीय / निगम / बोर्ड / स्वायत्तशासी संस्थान में नियोजित है तो वहां से कार्यमुक्त होकर कार्य मुक्ति आदेश तथा उस विभाग की विभागीय जांच नहीं होने / होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
23. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक 7 (13) कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
24. अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम एच.सी.एम. रीपा, जयपुर द्वारा आयोजित करवाया जावेगा। तब तक अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण उपरान्त संस्थानिक प्रशिक्षण / अटैचमेन्ट पूर्ण करवाया जावेगा एवं विभागीय कर्तव्य के निर्वहन में इनकी सेवाएं ली जा सकेंगी। प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश एच.सी.एम. रीपा के वेबसाइट www.hcmripa.gov.in पर उपलब्ध होंगे।
25. उक्त सेवा आवंटन एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 9227/25, 6956/26, 6021/26, 8011/26, 6600/26, 6381/26, 6454/26, 4054/25, 7925/26 एवं 9386/26 एवं उक्त परीक्षा के सम्बन्ध में दायर विभिन्न वादकरणों के अध्यक्षीन रहेगा।
- 26. अभ्यर्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 01.10.2026 को प्रातः 09:30 बजे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मुख्यालय, कमरा न. 7026 भू-तल, खाद्य भवन, सचिवालय, जयपुर पर (अपनी फोटोयुक्त पहचान पत्र मूल एवं स्वयं प्रमाणित प्रति) सहित अनिवार्य रूप से उपस्थिति दिया जाना सुनिश्चित।**
27. कार्यग्रहण करने के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी / सहायता हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी श्री सुनील पूनियां उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (दूरभाष न. 0141-2227780 मोबा. न. 9829063023) एवं श्रीमती रेणू मीणा, सहायक आयुक्त (दूरभाष न. 0141-2227277 मोबा. न. 8239999794) से संपर्क किया जावे।
- यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पूनम प्रसाद सागर)

अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य)

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar

Designation : Additional Commissioner

Date: 2026.09.30 10:50:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24811093

M e-Sign

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
5. निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर ।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
8. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
10. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
11. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
12. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4, अनुभाग-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को 9 (66) कार्मिक/क-4/2/2026/33564 दिनांक 30.09.2026 के क्रम में ।
13. व. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
14. समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग, जयपुर ।
15. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अभ्यर्थियों को शासन सचिवालय में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने का श्रम करावें ।
16. सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), खाद्य विभाग, जयपुर को आवश्यक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित है ।
17. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल करना सुनिश्चित करें ।
18. संबंधित अभ्यर्थी श्री / सुश्री / श्रीमती ।
19. निजी पत्रावली संबंधित कर्मचारी ।
20. विभागीय स्थापना शाखा (मुख्यालय) / लेखाशाखा (भुतान) / बजट / गोपनीय प्रतिवेदन शाखा / निरीक्षण शाखा ।
21. रक्षा पत्रिका।

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar

Designation : Additional Commissioner

Date: 2026.09.30 10:50:19 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
24811093

M e-Sign